दिनांक	आज्ञा पत्र	
	राजस्थान — बनाम दु. नं. 50/22	
2.8.24	पत्रावली पेश। वकील अपीलांट एवं उत्तरदाता वकील रेस्पोन्डेंट के प्रा.पत्र 04 R 22 CPC पेश किया बहस सुनी गई। शामिल रहे। प्रा.पत्र 01 R 10 CPC एवं 04 R 22 CPC पर सुना गया। प्रा.पत्रों का अवलोकन किया। वाद पर मनन किया। अतः के प्रा.पत्र 01 R 10 एवं 04 R 22 CPC स्वीकार किया जाता है। संशोधित शीर्षक पेश किया शामिल रहे। फाइनल बहस सुनी गई। बाद आदेश दिनांक 14.8.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	
14.8.24	पत्रावील पेश। अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 50/2022

1 रामलाल वर्मा उम्र 76 साल पुत्र रूडाराम जाति बलाई निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर तहसील व जिला सीकर।
2 हल्का पटवारी बाजोर तहसील व जिला सीकर।
3 जय कुमार पुत्र सत्यनारायण जाति ब्राह्मण निवासी बाजौर तहसील व जिला सीकर।
4 मुकेश कुमार लाटा पुत्र बनवारीलाल जाति ब्राह्मण निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर।
5 पूर्णमल पुत्र श्यामलाल जाति हरिजन निवासी बाजोर तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.04.2022 मु.नं. 172/2016 बउनवानी रामलाल बनाम राज्य सरकार आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सज्जन सिंह कविया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः—14.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 172/2016 में पारित निर्णय दिनांक 18.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलान्ट ने एक वाद उद्घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत वाके ग्राम बाजोर को पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा वादी के पिता को पुराने खसरा नम्बर 114 में से 6 बीघा 16 बिश्वा अलोटमेंट भूमि के बजाय पुराने खसरा नम्बर 264 में से 6 बीघा 16 बिश्वा भूमि वादी के पिता को कब्जे में दी गयी, के बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाने का आधार लिया गया। जबकि उक्त दस्तावेज वादी के पास होता तो वादी को खतेदारी, उदघोषणा का वाद लाने की कतई आवश्यकता ही नहीं होती। विचारण न्यायालय ने पुराने खसरा नम्बर 264/1/4 रकबा 1.14 है. जिसके नये खसरा नम्बर 580, 580/851, 571/852 बनना व इन खसरा नम्बर की खातेदारी वादी व अन्य खातेदारों के नाम दर्ज होना आधार मानकर वादी का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिव
सीकर

दावा स्वीकार कर डिक्री किये जाने योग्य नहीं माना जबकि इस ओर कतई ध्यान नहीं दिया कि उक्त भूमि वादी की पैत्रिक कृषि भूमि है तथा वाद पत्र में चाही गयी सहायता की भूमि वादी के पिता को भूतपूर्व सैनिक होने व जाति से हरिजन होने के कारण अलोटटेड भूमि है। इसकी पुष्टि तहसीदार की रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 से होती है। जिसका वादी वैध अधिकारों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करने के लिए सक्षम था। उसके बावजूद भी पैत्रिक भूमि को वादी के नाम वादी के पुत्रो के नाम दर्ज होना मानकर वादी का दावा खारिज करने में गंभीर कानूनी त्रुटि की गयी है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी अर्थ कतई गलत रूप से लगाया है कि खसरा नम्बर 580, 580/851, 571/852 वादी को अलोटेड भूमि के बदले प्राप्त हुई भूमि है जबकि उक्त भूमिया तो वादी की पैत्रिक भूमि है जिनसे अलोटेड भूमि का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में खसरा नम्बर 571 व 579 की भूमि सरकार के नाम होने से खातेदारी वादी को दिया जाना उचित नहीं मानते हुए तय कर दावा खारिज करने में कानूनी भूल की गयी है। चूंकि वादी अपने पिता को अलोटेड भूमि के बदले वर्ष 1982 से काश्त की जा रही भूमि तथा अपने जीवन की समस्त पूंजी इस भूमि को उपजाउ व विकसित बनाने में खर्च कर दी जिसे वादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित व प्रमाणित किया है। विचारण न्यायालय में वादी का वाद खारिज कर दिये जाने से रेस्पोडेन्ट वादी को ग्राम बाजोर तहसील व जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 2.49 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की 1.20 हैक्टेय में से पश्चिमी तरफ की 0.50 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नहीं है इसलिए रेस्पोडेन्ट को प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है कि वो ग्राम बाजोर तहसील व जिला सीकर स्थित भूमि खसरा नम्बर 571 रकबा 2.49 हैक्टेयर में से उतरी तरफ की 1.20 हैक्टेयर भूमि से व खसरा नम्बर 579 रकबा 2.47 हैक्टेयर में से पश्चिमी तरफ की 0.50 हैक्टेयर भूमि कुल 1.70 हैक्टेयर भूमि से बेदखल करने, वादी के कब्जा काश्त में दखलअंदाजी करने से बाज रहे। ऐसी स्थिति में विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि वादी के पिता रूडाराम को भूमि का अलाटमेन्ट किया गया था। जिस पर वादी को काश्त नहीं करने देने पर उसके द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। वादी का वाद इस आधार पर है कि उसके तहसीलदार द्वारा 1982 में उक्त अलाटशुदा भूमि के बदले उतनी ही भूमि खसरा नम्बर 264 में से दी गई थी। जिस पर वादी आज भी काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 264/1/4 रकबा 8 बीघा 10 की खातेदारी जमाबंदी 2025 से 33 तक प्रदर्श–11 से 13 के अनुसार वादी के पिता रूड़ा पुत्र दुदा जाति बलाई के नाम से दर्ज रही है। प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 264/1/4 रकबा 1.14 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 580, 580/851 एवं 571/852 बनना प्रमाणित है। इन खसरा नम्बर की खातेदारी वादी एवं अन्य खातेदारों के नाम से दर्ज है। वादी को यह खातेदारी किस आधार पर प्राप्त हुई है वाद में कोई अंकन नहीं किया गया है क्योंकि यह खसरा नम्बर भी पुराने खसरा नम्बर 264 से बने है। यदि वादी को उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अलाटमेन्ट के बदले दी गई भूमि के बदले में प्राप्त हुई है तो वादी को वाद दुरूस्ती का होना चाहिये था। वादी द्वारा जिस भूमि की उद्घोषणा चाही गई है वह खसरा नम्बर 571 व 579 में से चाही गई है। जिसकी खातेदारी सरकार के नाम से दर्ज है। इस प्रकार से वादी का वाद किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के पिता रूडाराम को भूमि का अलाटमेन्ट किया गया था। जिस पर वादी को काश्त नहीं करने देने पर उसके द्वारा न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया गया था। वादी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिक
सीकर

का वाद इस आधार पर है कि उसके तहसीलदार द्वारा 1982 में उक्त अलाटशुदा भूमि के बदले उतनी ही भूमि खसरा नम्बर 264 में से दी गई थी। जिस पर वादी आज भी काबिज काश्त है। खसरा नम्बर 264/1/4 रकबा 8 बीघा 10 की खातेदारी जमाबंदी 2025 से 33 तक प्रदर्श–11 से 13 के अनुसार वादी के पिता रूड़ा पुत्र दुदा जाति बलाई के नाम से दर्ज रही है। प्रदर्श 4 मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 264/1/4 रकबा 1.14 हैक्टेयर के नये खसरा नम्बर 580, 580/851 एवं 571/852 बनना प्रमाणित है। इन खसरा नम्बर की खातेदारी वादी एवं अन्य खातेदारों के नाम से दर्ज है। वादी को यह खातेदारी किस आधार पर प्राप्त हुई है वाद में कोई अंकन नहीं किया गया है क्योंकि यह खसरा नम्बर भी पुराने खसरा नम्बर 264 से बने है। यदि वादी को उक्त खसरा नम्बर की खातेदारी अलाटमेन्ट के बदले दी गई भूमि के बदले में प्राप्त हुई है तो वादी को वाद दुरूस्ती का होना चाहिये था। वादी द्वारा जिस भूमि की उद्घोषणा चाही गई है वह खसरा नम्बर 571 व 579 में से चाही गई है। जिसकी खातेदारी सरकार के नाम से दर्ज है। इस प्रकार से वादी का वाद किसी प्रकार से प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज कर विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 14.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व–अपील प्राधिकारी,
सीकर